संख्या-21/2024/440/18-2-2024-18-2099/261/2021

प्रेषक

पुष्पे सिंह
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में

आयुक्त एवं निदेशक,
उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन उ0प्र0,
कानपुर।

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक: 30 मार्च, 2024

विषयः- वित्तीय वर्ष 2023-24 में मिशन शक्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत औद्योगिक क्षेत्रों में महिलाओं और लड़कियों की सुरक्षा तथा सशक्तीकरण के लिये जागरूकता और क्षमता निर्माण कार्यक्रम हेतु वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त के संबंध में अवगत कराना है कि मिशन शक्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत महिलाओं की सुरक्षा एवं सशक्तीकरण हेतु जागरूकता अभियान एवं कौशल क्षमता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम के सम्बन्ध में भारत सरकार को प्रेषित प्रस्ताव के संदर्भ में भारत सरकार के पत्र दिनांक 05-10-2023 द्वारा स्वीकृति प्राप्त हुयी है। योजना के प्राविधानानुसार रू0 4687.50 लाख बजट का 60 प्रतिशत अंश केन्द्र सरकार तथा 40 प्रतिशत अंश राज्य सरकार द्वारा वहन किया जायेगा। भारत सरकार द्वारा 60 प्रतिशत अंश के सापेक्ष रू0 451.25 लाख स्वीकृत कर दी गयी है। प्रदेश में योजना के क्रियान्वयन हेतु केन्द्रांश के रूप में वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक में योजनान्तर्गत प्राविधिानित धनराशि रू0 2000.00 लाख के सापेक्ष धनराशि रू0 451.25 लाख (रूपये चार करोड़ इक्यावन लाख पच्चीस हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने व व्यय किये जाने की मा0 राज्यपाल निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

(1) उपर्युक्त स्वीकृत धनराशि की सीमा तक ही व्यय सुनिश्चित किया जायेगा तथा व्यय नियंत्रण एवं मितव्ययिता के सम्बन्ध में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों के निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा तथा अनावश्यक एवं अनुपयोगी व्यय किसी भी दशा में नहीं किया जायेगा। इस सम्बन्ध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक 17-3-2023 में दिये गये निर्देशों व शासकीय व्यय में मितव्ययिता के सम्बन्ध में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का अनुपालन अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) स्वीकृत धनराशि के व्यय की मदवार सूचना निर्धारित प्रारूप बी0एम0-13 पर प्रत्येक माह में नियमित रूप से प्रशासनिक विभाग को उपलब्ध करायी जायेगी तथा उसकी प्रतियां वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3/6 को भी उपलब्ध करायी जायेगी।

(3) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय योजना के संबंध में भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानक/दिशा निर्देशों के अनुसार किया जायेगा तथा व्यय विवरण पी0एफ0एम0एस0 पर भी अपलोड किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(4) जिस प्रयोजन हेतु धनराशि की मांग की जा रही है, उसी मद मे ही आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी।

(5) धनराशि का आहरण आवश्यकतानुसार राजकोष से किया जायेगा एवं योजना के क्रियान्वयन हेतु उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय के स्तर पर खोले गये एस0एन0ए0 एकाउण्ट में स्थानान्तरित की जायेगी तथा कार्यदायी संस्था यूपिकॉन को उपलब्ध करायी जायेगी।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक अनुदान संख्या-003 लेखाशीर्षक '2851-ग्राम तथा लघु उद्योग-102-लघु उद्योग-01-केन्द्र पुरोनिधानित योजनायें-0104-औद्योगिक क्षेत्रो में महिलाओं और लड़कियों की सुरक्षा तथा सशक्तीकरण के लिये जागरूकता और क्षमता निर्माण कार्यक्रम (के-60/रा-40)-42-अन्य व्यय' के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-6-310-दस-2023-24, दिनांक 30 मार्च, 2024 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय

पुष्पे सिंह
उप सचिव।

संख्या एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः

1- अनु सचिव, निर्भया सेल, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा/लेखा एवं हकदारी) प्रथम एवं द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3- कोषाधिकारी, कानपुर नगर।
4- निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यिकीय निदेशालय, 125 जवाहर भवन, लखनऊ।
5- स्टेट स्कीम मैनेजर/संबंधित कार्यदायी संस्था।
6- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/वित्त (व्ययनियंत्रण) अनुभाग-6
7- सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग-2/3
8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से

पुष्पे सिंह
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।